कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
Phone/Fax-2767611
Email- Nodalofficerddn@gmail.com


पत्रांकः– 1793 / FP/UK/ROAD/146204/2021 दिनॉकः देहरादून 28 जनवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय :– जनपद चमोली के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के कि0मी0 06 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के एफ0आर0सी0एम0 बैठक दिनांक 25.11.2022।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 25.11.2022** के सम्बन्ध में वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1661/12–1 दिनांक 04.01.2023 के द्वारा से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

| क्र0 | भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा चाही गयी सूचना | आख्या |
|---|---|---|
| 1 | The User agency along with the DFO presented the proposal in the meeting. The KML file of the proposed road was observed in the meeting and it was seen that there is an existing road on the northern side of the beneficiary village Koladungari. It was apprised that the observation in this regard was also conveyed to the State Government. The user agency informed that the proposed road will connect the village with the market and also provide connectivity with the junior High School of Koladungri hence the proposed road is Justifiable.<br>*After detailed discussion, it was decided that the User Agency shall submit a detailed Justification of the proposed road in view of existing norms and all the concerned infrastructure viz. Local market, school, etc. Shall be shown on the kml in the online portal.* | वन संरक्षक के उपरोक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्राक 3186/12–1 दिनॉक 30.12.2022 से अवगत कराया गया है कि–<br>1– लाभान्वित गांव कोलाडुंग्री के ऊपर उत्तर दिशा में स्थित मोटर मार्ग (कर्णप्रयाग–नैनीसैण मोटर मार्ग) से गांव कोलाडुंग्री की ऊर्ध्वाधर दूरी 150 मी0 से अधिक है। उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 8167/।।।(2)/18–15 (सामान्य) /2018 दिनांक 31.12.2018 के अनुसार **<u>पर्वतीय क्षेत्रो की भौगोलिक परिस्थिति, भू–गर्भीय संरचना के दृष्टिगत मार्ग से 100मी0 की ऊर्ध्वाधर (vertical) दूरी पर स्थिति ग्राम मोटर मार्ग से संयोजित माना जाय,</u> (संलग्न–1)** के अनुसार भी उक्त गांव जिसकी कर्णप्रयाग नैनीसैण मोटर मार्ग से ऊर्ध्वाधर (Vertical) दूरी 150 मी से अधिक है। मोटर मार्ग से संयोजित नही है अर्थात उक्त गांव को मोटर मार्ग से संयोजित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ऊपर उत्तर दिशा में स्थित कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग से लाभान्वित गांव कोलाडुंग्री हेतु मार्ग के प्रारम्भ में पड़ने वाली भूमि ग्राम विडोली एवं ग्राम फलोटा से सम्बन्धित है जिसके भूस्वामियों द्वारा मार्ग निर्माण हेतु किये जा रहे सर्वे का विरोध किया गया एवं विभाग को अपनी भूमि न देने सम्बन्धित आपत्ति पत्र प्रेषित किया गया **(आपत्ति पत्र संलग्न–2)** । चूंकि ग्राम विडोली एवं फलोटा पूर्व में ही मोटर मार्ग पर स्थित है एवं विषगत मोटर मार्ग से इन गावों को कोई लाभ न होने के कारण इस मोटर मार्ग का विरोध किया जा रहा है।<br>उपरोक्त के कम में यह भी अवगत कराया गया है कि यदि उक्त मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले गांव को जोड़ा भी जाता है तो भी 1:18–1:20 क Longitudinal Grade पर मार्ग की लम्बाई लगभग 3.00किमी0 से भी अधिक की आवश्यकता होती, जो कि स्वीकृत संरेखण (डिम्मर–सुमल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 00 से ग्राम कोलाडुंग्री) की लम्बाई 2.225 किमी0 से ज्यादा है। इसके अतिरिक्त ऊपर स्थित आपके द्वारा सुझाये गये Alignment में Hill site cutting के दौरान गांव नीचे होने के कारण गांव को खतरा उत्पन्न हो सकता है जो कि तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नही है। जबकि स्वीकृत संरेखण में कोई HP Bend नहीं है<br>**2**–ग्राम सभा कोलाडुंग्री का एकमात्र जूनियर हाईस्कूल कोलाडुंग्री, ग्राम सुमल्टा में स्थित है। उक्त स्वीकृत संरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चों को उक्त स्कूल पंहुचने में सुविधा होगी। चूंकि स्थल को जोड़ जाना Obeligantory Point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा। (KML file में दर्शा दिया गया है)<br>**3**– ग्राम सभा कोलाडुंग्री का प्राथमिक विद्यालय भी ग्राम सुमल्टा में स्थित है। उक्त स्वीकृत संरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण से ग्राम कोलाडुंग्री के बच्चों को उक्त स्कूल पंहुचने पर सुविधा होगी। चूंकि स्थल को जोड़ जाना Obeligantory Point है एवं आपके द्वारा सुझाये गये Alignment से स्कूल वंचित रह जायेगा। (KML file में दर्शा दिया गया है)<br>**4**– लाभान्वित गांव का मुख्य बाजार सिमली है जहां से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 गुजरता है स्वीकृत संरेखण पर मार्ग का निर्माण होने से लाभान्वित गांव मात्र 8किमी0 में राष्ट्रीय राजमार्ग से संयोजित हो जायेगा। जबकि कर्णप्रयाग– नैनीसैण मोटर मार्ग से उक्त मोटर मार्ग निर्माण से मुख्य बाजार कर्णप्रयाग की दूरी 17 किमी0 एवं सिमली की दूरी 24 किमी0 आयेगी। (KML file में दर्शा दिया गया है)<br>**5**– लाभान्वित ग्राम सभा कोलाडुंग्री के अन्तर्गत ग्राम सुमल्टा एवं बागड़ी आते है तथा चुनाव में मतदान स्थल का निर्माण लाभान्वित ग्राम कोलाडुंग्री में किया जाता है। स्वीकृत संरेखण पर मार्ग के निर्माण हो जाने से ग्राम सुमल्टा एवं ग्राम बांगड़ी के मतदाताओं विशेषकर वृद्ध एवं दिव्यांगजनों को मतदेय स्थल तक पहुंचने में सुविधा होगी।<br>**6**– लाभान्वित गांव कोलाडुंग्री में इस क्षेत्र का पोस्ट ऑफिस स्थित होने के कारण क्षेत्रीय जनता को स्वीकृत संरेखण पर मार्ग निर्माण से पोस्ट ऑफिस पंहुचने में सुविधा प्राप्त होगी।<br>**7**– स्वीकृत संरेखण पर हरियाली घनत्व मात्र 0.3 है तथा कुल प्रभावित संरेखण घने वन से न गुजर कर एक विरल क्षेत्र गुजरता है जिसमें अधिकतर चीड़ के वृक्ष है। स्वीकृत Alignment ही तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त है। |

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**संलग्नकः– यथोपरि।**

**भवदीय,**

**(एस0एस0 रसाईली)**
**अपर प्रमुख वन संरक्षक,**
**एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।**

**संख्या–** 1793 **/ FP/UK/ROAD/146204/2021 दिनांकित।**

**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 1661/12–1 दिनांक 04.01.2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

28/01/23

**(एस0एस0 रसाईली)**
**अपर प्रमुख वन संरक्षक,**
**एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।**

o/c